रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 729] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2003/श्रावण 23, 1925
No. 729] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2003/SRAVANA 23, 1925

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2003

का.आ. 928(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि आपात स्थिति विद्यमान है और इसलिए वह माव्मलूह चेरा सीमेंट लिमिटेड चेरापूंजी, का मेघालय की माव्मलूह चूना पत्थर खदान को, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4077 तारीख 15 दिसम्बर, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होने से छूट देती है और उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह अधिसूचना मैसर्स माव्मलूह चेरा सीमेंट लिमिटेड चेरापूंजी, मेघालय की माव्मलूह चूना पत्थर खदान को 14 अगस्त, 2003 से पांच वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होगी कि ठेका श्रमिक को संदेय मजदूरी, अखिल भारतीय स्तर पर कर्मकारों और प्रबन्ध तंत्र के बीच हुए समझौते के अनुसार सीमेंट उद्योग के नियमित कर्मचारियों के निम्नतर प्रवर्ग को संदेय मजदूरी से कम नहीं होगी।"

[फा. सं. एस-16012/7/98-एलडब्ल्यू]

मनोहर लाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 4077 तारीख 15 दिसम्बर, 1979 द्वारा जारी की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2003

S.O. 928(E).— In exercise of the powers conferred by Section 31, read with Sub-section (1) of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the

Central Advisory Contract Labour Board, is satisfied that an emergency exists, and therefore, exempts Mawmluh Limestone Quarry of M/s. Mawmluh Cherra Cement Limited Cherapunjee, Meghalaya from the applicability of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 4077 dated the 15th December, 1979 (hereinafter referred to as the said notification) for a period of five years from the date of publication of this notification, and makes the following amendment in the said notification, namely:—

2. In the said notification, after the Schedule, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that this notification shall not apply to Mawmluh Limestone Quarry of M/s. Mawmluh Cherra Cement Limited Cherapunjee, Meghalaya for a period of five years with effect from the 14th August, 2003 subject to the condition that the wages payable to the Contract labour shall not be less than the wages payable to the lowest category of the regular employees of the cement industry as per the settlement reached between the workers and the management, on an all India basis."

[F. No. S-16012/7/98-LW]

MANOHAR LAL, Jt. Secy.

Footnote:— The principal notification was issued vide number S.O. 4077 dated the 15th December, 1979.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.